न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2024

बउनवान

1. स्व0 किशनीबाई जरिये कायम मुकाम
   1/1 चितरंजन मीना, हाल निवासी–सैक्टर 3 मकान नं. 8, मालवीय नगर, जयपुर। अपीलार्थी

बनाम

1. स्व0 बद्रीलाल पुत्र दौला जरिये कायम मुकाम
   1/1. मोहन लाल मीणा पुत्र स्व0 बद्रीलाल (मृतक)
   1/1/1. प्रेमबाई पत्नी
   1/1/2. ब्रजबाला पुत्री
   1/1/3 महावीर मीणा पुत्र
   1/1/4 प्रभात मीणा पुत्री
   1/1/5 शकुन्तला पुत्री
   1/1/6 चन्द्र प्रकाश पुत्र
   1/2. जगदीश मीना पुत्र बद्रीलाल (मृतक)
   1/2/1 मंगलेश पत्नी
   1/2/2 खेमराज पुत्र
   1/2/3 गिरिराज पुत्र
   1/2/4 अन्तिमा पुत्री
   1/2/5 मधुबाला पुत्री
   1/2/6 लक्ष्मी पुत्री
   1/2/7 शशि पुत्री
   1/3. संतोषबाई पुत्री बद्रीलाल
   1/4. रूकमणीबाई पुत्री बद्रीलाल समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम सिंधपुरी की झोंपड़ियां तहसील अन्ता जिला बारां। हाल निवासी निमड़ीपाड़ा वार्ड नं. 9 कस्बा अन्ता, तहसील अन्ता, जिला बारां।
2. जगन्नाथी बाई पुत्री रामकंवरी (मृतक)
   2/1/1 छीतरलाल पुत्र जगन्नाथी बाई पत्नी किशनलाल (मृतक)
   2/1/1/1 शांती बाई पत्नी
   2/1/1/2 बद्रीलाल पुत्र
   2/1/1/3 गायत्री बाई पुत्री
   2/1/1/4 चन्द्रेश मीणा पुत्री
   2/1/1/5 मिथलेश पुत्री
   2/1/1/6 सुगना बाई पुत्री
   2/1/1/7 सरोज मीणा पुत्री समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम थामली तहसील बारां, जिला बारां।
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां प्रत्यर्थीगण

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 विरूद्ध तहसीलदार आदेश कमांक एलआर/2018/780 दिनांक 14.03.2018 जिससे बद्रीलाल के नाम नामान्तरण खोला गया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत डिले कन्डोन किये जाने

Signature Not Verified

उपस्थितः 1. श्री चितरंजन [illegible] (अपीलार्थी कम 1/1)

2. श्री [illegible] 1/2/[illegible] 1/2/1 ता 1/2/7, 1/3 व 1/4)

3. श्री [illegible]रेन्द्र कुमार सो[illegible] एडवोकेट (प्रत्यर्थी कम 2/1/1/1 ता 2/1/1/7)

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:07:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

निर्णय दिनांक 18.08.2025

प्रकरण में बहस की स्टेज पर अपीलार्थी कम 1/1 ने मूल अपील पर बहस समाअत करने से पूर्व 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर पहले आदेश फरमाकर मूल अपील में सुनवाई की जाकर आदेश फरमाने का कथन किया। अपीलार्थी कम 1/1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी अनुसार हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस उभयपक्ष सुनी।

दौराने बहस अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी जयपुर में निवास करता है तथा मृतक रेस्पोडेन्ट अन्ता व बारां, जिला बारां में निवास करते है। अपीलार्थी का रेस्पोडेन्ट्स से कोई बोल चाल आदि नही है। रेस्पोडेन्ट प्रेम बाई द्वारा विवादित आराजी से सम्बन्धित रिमाण्ड दावा लम्बित रहते हुए तथा द्वितीय अपील के लम्बित रहते हुए तथ्य छिपाते हुए दिनांक 15–3–2023 से नामान्तरण की कार्यवाही की जा रही थी। नामान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में अपीलार्थी को दिनांक 18–05–2023 को ज्ञात हुआ तथा नामान्तरण कार्यवाही रोकने के लिए अपीलार्थी को बार–बार अन्ता बारां जाना पड रहा था। रेस्पोडेन्ट प्रेम बाई द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही को रोकने हेतु अपीलार्थी द्वारा रिमाण्ड दावे में स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2023 को पेश किया गया साथ ही जिला कलक्टर बारां को नामान्तरण की कार्यवाही के विरूद्ध अपील पेश की गई। इन्ही कार्यवाहियो के दौरान अपीलार्थी को प्रथम बार दिनांक 22–06–2023 को रेस्पोडेन्ट जगदीश मीणा के इन्तकाल के सम्बन्ध में जानकारी हुई लेकिन मृत्यु दिनांक आदि की जानकारी नही हो सकी। जगदीश मीणा कि मृत्यु दिनांक आदि के सम्बन्ध में जानकारी करने हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30–06–2023 को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सूचना के अधिकार के तहत तहसीलदार अन्ता को आवेदन किया गया तथा सूचना डाक द्वारा 10–07–2023 तक प्राप्त नही होने पर अपीलार्थी स्वंय दिनांकः 14–07–2013 को जयपुर से अन्ता जिला बारां चला गया व सूचना प्राप्त की। जगदीश मीणा की सूचना प्राप्त करने तक अपीलार्थी को छीतरलाल के इन्तकाल की जानकारी नही थी। अपीलार्थी को छीतरलाल के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास के दौरान ज्ञात हुआ की छीतर लाल का भी इन्तकाल हो चुका है, मृत्यु दिनांक आदि जानकारी के अभाव के कारण दिनांक 17–07–2023 को रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा सूचना के अधिकार के माध्यम से छीतर लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज तहसील बारां से मागे गये जिससे प्रार्थना पत्र तैयार करवा कर अविलम्ब न्यायालय में पेश किये जा सके। रेस्पोडेन्ट छितर लाल का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने तक प्राप्त नही हुए है। विलम्ब का कारण जानकारी का अभाव रहा है। विलम्ब जानबूझ कर नही किया गया है। यदि पहले ही रेस्पोडेन्ट्स के इन्तकाल के बारे में जानकारी होती तो अपीलार्थी पूर्व में ही समय पर प्रार्थना पत्र पेश कर देता जिससे अनावश्यक परेशानी से अपीलार्थी बच जाता। यहाँ यह भी अवगत करवाना उचित होगा की प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक तक रिमाण्ड दावे व द्वितीय अपील में मृतक रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ताओ को भी इन्तकाल के बारे में कोई जानकारी नही है। जानकारी के अभाव में ही मृतक के अधिवक्ताओ द्वारा किसी भी न्यायालय को सूचित नही किया गया है और न ही न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के इन्तकाल के बारे में ऑर्डर शीट पर लिया गया जिससे अपीलार्थी को समय पर जानकारी होना संभव नही था। अतः जानकारी के अभाव में हुए विलम्ब तथा जानकारी जुटाने व प्रार्थना पत्र तैयार करने में हुए डिले को कन्डोन करने की कृपा करे।

वकील प्रत्यर्थी कम 1/2/1 से 1/2/7 व 1/3, 1/4 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश नहीं किया तथा दौराने बहस प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी के प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सम्पूर्ण दस्तावेजात अपीलांट की जानकारी में पहले दिन से ही थे विलम्ब से पेश करने का कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सव्यय निरस्त किया जावे।

वकील प्रत्यर्थी कम 2/1/1 से 2/1/7 ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा तथा दौराने बहस वकील प्रत्यर्थी कम 1/2/1 से 1/2/7 व 1/3, 1/4 के कथन की पुष्टि करते हुए समस्त तथ्यों की जानकारी अपीलांट को पहले दिन से होना बताया तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:07:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाराँ (राज०)

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी स्वंय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उभयपक्षकारान के मध्य पूर्व से ही रिमाण्ड वाद तथा द्वितीय अपील विचाराधीन होना अंकित किया है। इसलिये रिमाण्ड वाद तथा द्वितीय अपील विचाराधीन होने तथा उनमें पक्षकार होने के बाद भी अपीलार्थी का यह कथन उचित तथा युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है कि उसे पक्षकारों की मृत्यु होने की तिथियों की जानकारी नहीं होने के कारण अपील पेश करने में विलम्ब हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अन्य कोई युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है जिस पर विचार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है।

चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अपील के समर्थन में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज हो गया है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील भी मियाद बाहर होने के कारण पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.09.16 11:07:09 IST
Reason: SelfAttested